



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27916

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 9285 वर्ष 2025 व 1 अन्य संबद्ध वाद

जयवीर सिंह धामा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विजय प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. मुख्य और सम्बद्ध रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1994 में पीएसी में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और वह 28.02.2025 को सेवानिवृत्त हुए। 05.06.2025 को एक वसूली आदेश पारित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को 8,55,800/- रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी।
3. वसूली आदेश पर प्रश्न उठाने हुए याचिकाकर्ता ने मुख्य रिट याचिका दायर की है। हालांकि, मुख्य रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अब 14.05.2025 को याचिकाकर्ता के वेतनमान/वेतन को याचिकाकर्ता की क्षति में पुनः निर्धारित करने का आदेश पारित किया गया है। इसे चुनौती देते हुए सम्बद्ध रिट याचिका दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उक्त राशि की वसूली का आदेश, जो मुख्य रिट याचिका में चुनौती का विषय है, साथ ही वह आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की क्षति में पुनः निर्धारण किया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है क्योंकि यह याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना उनकी पीठ पीछे की गई एकपक्षीय कार्यवाही है। तर्क यह है कि कोई भी वसूली शुरू नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से तब जब यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है और पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वाशर), 2015 (4) एससीसी 334 और थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बल प्राप्त किया गया है।
5. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर कहा है कि हालांकि नियोक्ता के पास वेतनमान/वेतन में सुधार करते समय त्रुटि को सुधारना और वसूली करने का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन औचित्य की मांग थी कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मैंने अदालत में दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. स्पष्ट रूप से, विवाद की जड़ यह है कि क्या याचिकाकर्ता से वसूली और वेतन निर्धारण याचिकाकर्ता की क्षति में एकपक्षीय तरीके से किया जा सकता था या नहीं। इसका उत्तर 'नहीं' है। एक बार जब सिविल परिणामों वाला आदेश पारित किया जाता है, तो वह नोटिस देने के बाद ही होना चाहिए। चूंकि यहाँ पुनः निर्धारण के साथ-साथ वसूली पीठ पीछे की जा रही है, इसलिए आक्षेपित आदेश को इस अतिरिक्त और राहत देने वाली विशेषता में कायम नहीं रखा जा सकता कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है।

8. तदनुसार, रिट याचिकाओं का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:-

(क) आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2025 के साथ-साथ आदेश दिनांक 14.05.2025 को कायम नहीं रखा जा सकता और उन्हें निरस्त किया जाता है;

(ख) उक्त आदेश का पारित होना प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद संघर्ष से कानून के अनुसार नई कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"